तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	लीलादेवी बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) **सू.अ.अ. अपील संख्या 167/2020**	

20.10.20

अपीलार्थी लीलादेवी सरपंच ग्राम पंचायत जसवंतपुरा, पंचायत समिति बिलाड़ा, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक ..... में उसके द्वारा (1) श्रीमती कमलादेवी ग्राम पंचायत चुनाव सरपंच पद के चुनाव हेतु आवेदन फार्म की प्रमाणित प्रतिलिपि व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक सू.अ.अ./प्रा.सं0 207/2020/2020 दिनांक 08.09.2020 सूचना दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावंली कां अवलोकन किया। अपील के संलग्न सूचना का अधिकार प्रार्थना पत्र में बिन्दु संख्या 1, 2, 4 व 8 में वर्णित सूचना के बारे में कोई आक्षेप नहीं किया गया है। अपीलार्थीया ने अपील में आक्षेप किया कि मुझ प्रार्थीया द्वारा एक परिवाद श्रीमती कमला सरपंच प्रत्याशी के विरूद्ध रिटर्निंग अधिकारी ग्राम पंचायत जसवंतपुरा तहसील बिलाड़ा को पेश किया गया, परिवाद की कोपी तो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करा दी परन्तु उसके साथ संलग्न दस्तावेज प्रदर्श 1 से 15 कुल 21 पेज उपलब्ध नहीं करवाये, परन्तु उक्त सूचना का प्रार्थना पत्र में वर्णित नहीं है। अन्य सूचना बिन्दु–6 में सरपंच चुनाव में आर.ओ. की ड्यूटी लगाई उस आदेश की प्रति, बिन्दु–7 में आर.ओ. को चुनाव ड्यूटी के दौ[illegible] मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी गई उस आदेश की प्र[illegible] प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़ने के लिए जो योग्यता [illegible] से संबधित सूचना उपलब्ध कराने बाबत् प्रार्थना की गई, परन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई।

लो.सू.अ.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 6, 7 व 9 में चाही गई सूचना प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anop Singh Inda
Date: 2021.01.12 17:27:38 IST
Reason: SelfAttested